//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 33 / 2019

उनवान

ट्रांसपोर्ट नगर, नसीराबाद, जरियें
1. अध्यक्ष गोपाल यादव पुत्र हनुमान जाति यादव निवासी ग्राम रामपुरा अहिरान, नसीराबाद
2. उपाध्यक्ष असलम पुत्र बशीर जाति मुसलमान निवासी रिसाला मण्डी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. ज्ञानधारा पत्नी रामकिशोर राठी जाति माहेश्वरी, निवासी आर्दश नगर, अजमेर।
2. चन्द्रकान्ता पत्नी दिलीप राठी जाति माहेश्वरी निवासी रामनगर, अजमेर।
3. आशा काकाणी पत्नी ज्वाला प्रसाद काकाणी जाति महाजन निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
5. उप पंजीयक, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जेन
4 व 5 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131, भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 26.10.21

वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ट्रांसपोर्ट नगर ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 1.22 वंर्किंग खसरा नम्बर 167 मिन रकबा 1.22 व हाल खसरा नम्बर 194 रकबा 0.05 वंर्किंग खसरा नम्बर 167 रकबा 0.05 में स्थित है, जिसमें ग्राम पंचायत देराठू द्वारा व्यवसायिक पट्टे काटकर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हेतु भूमि आवंटित की गयी। जिसमें आवंटित व्यक्ति अपना व्यवसाय संचालित कर रहे है। उक्त स्थल पर व्यवसायियो की यूनियन है जिसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वादीगण है। ट्रांसपोर्ट नगर को आवंटित खसरा नम्बर 193 व 194 के सीमा से लगती हुयी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आराजी वर्किंग खसरा नम्बर 177 हाल खसरा नम्बर 207 रकबा 0.18 व प्रतिवादी संख्या 3 की ... खसरा नम्बर 168 मिन व 169 हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.17 व वंर्किंग खसरा नम्बर 168 ... हाल खसरा नम्बर 196 रकबा 0.18 की खातेदारी भूमि है। हाल राजस्व मानचित्र में ट्रांसपोर्ट नगर के खसरा नम्बर 193 व 194 की भूमियों को पश्चिमी छोर की तरफ ... में प्रतिवादीगण की उक्त भूमि के खसरा नम्बर गलत रूप से ट्रांसपोर्ट नगर की ... दिये गये है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण ट्रांसपोर्ट नगर की आराजी पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतः आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र वंर्किंग नक्शा अनुसार मिलान कर दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बंद किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।
प्रकरण में कोई खण्डन प्रस्तुत नही होने से तनकियात कायम नही की गयी।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख व वंर्किंग जमाबंदी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग खाते में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व मानचित्र में आस–पास ही स्थित है। वादीगण का कथन है कि वंर्किंग मानचित्र में उक्त आराजी सही रूप से अंकित है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में वादीगण ट्रासंपोर्ट नगर की आराजी में प्रतिवादीगण की आराजी अंकित कर दी है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखल कर रहे है। प्रतिवादीगण ने खण्डन हेतु जवाब पेश नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वादपत्र के कथनों की ताईद होती है। प्रकरण के खण्डन हेतु पत्रावली पर कोई तथ्य नही है। बंदोबस्त विभाग को राजस्व मानचित्र में बिना किसी आधार के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान राजस्व मानचित्र का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य** भू **अभिलेख अधिकारी का है**। प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा।

अतः ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 193, 194, 207, 195, 196 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी के वंर्किंग मानचित्र व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना करते हुये पायी गयी त्रुटियों को तहसीलदार नसीराबाद हाल राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

ट्रांसपोर्ट नगर बनाम ज्ञानधारा

दावा बाबत :— 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 33 / 2019
पेश करने की दिनांक – 15.3.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरु श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर नितेश यादव अभिभाषक मुद्दई अभिषेक जैन व राज पैरोकार अभिभाषक मिनजानिब मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 193, 194, 207, 195, 196 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी के वर्किंग मानचित्र व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना करते हुये पायी गयी त्रुटियों को तहसीलदार नसीराबाद हाल राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज माह सन 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:55 IST
Reason: SelfAttested